भारतीय लोकतन्त्र में भ्रष्टाचार

सोनिया चमल्याल*

सारांश–

भारत में भ्रष्टाचार सर्वव्यापी हो गया है। जीवन का कोई भी क्षेत्र भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। भ्रष्टाचार हमारे रोजमर्रा के जीवन को भी अनेकों रुप से प्रभावित कर रहा है। 1947 में स्वाधीनता के बाद लोकतन्त्र को अपनाया गया है। लोकतन्त्र, मूल्यों और सिद्धान्तों की स्थापना के लिए हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने उपनिवेश साम्राज्य के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। लेकिन लोकतन्त्र में भी भ्रष्टाचार इतना फैल गया है कि 'ट्रांसपेरेन्सी करप्शन इंडेक्स' के अनुसार, भ्रष्टाचार के मामले में 180 देशों की सूची में भारत का 85 वां स्थान है।

लोकतंत्र वास्तव में इच्छा अथवा चुनाव पर मुख्यतः आधारित है किन्तु भारत में मतदाता के लिये चुनने का ही अभाव है। राजनीतिज्ञों और इन भ्रष्टाचारियों में इतना तालमेल हो गया कि दोनों में मतदाता द्वारा अन्तर करना भी मुश्किल हो गया है। कोई भी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार से अछूता भी नहीं है केवल मात्रा का अन्तर हो सकता है। समय के साथ भ्रष्टाचार का यह स्वरूप राजनीति का अभिन्न अंग बन गया जिनका प्रभाव सभी क्षेत्रों में दिखाई देने लगा। राजनीति में स्वार्थवरता, अवसरवादिता , नेतृत्वहीनता, चरित्रहीनता, माफिया, हिंसा, नारेबाजी, दंगे, अलगाववाद , नोट–वोट–सपोर्ट की राजनीति के रूप में मुखर है। राजनैतिक भ्रष्टाचार के ऐसे सैकड़ों मामले भरे पडे हैं जिनमें नेतृत्व ने जनता के विश्वास और सरकारी धन की क्षति पहुँचायी है। जिनमें प्रमुख टांसी भूमि घोटाला, कोलतार घोटाला, एच0 डी0 डब्ल्यू पनडुब्बी सौदा, चुरहट लॉटरी घोटाला, बोफोर्स तोप सौदा, आवास घोटाला, हवाला घोटाला, दूरसंचार घोटाला, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा रिश्वत काण्ड, यूरिया घोटाला, मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट घोटाला, 2–जी स्पेक्ट्रम घोटाला आदि है। भ्रष्टाचार के अनेक रूप हैं जैसे निम्न स्तरीय वस्तुओं या कार्य को स्वीकार करना, ठेकेदारों एवं फर्मों को रिआयतें देना, झूठे दौरे, भत्ते एवं गृह–किराया आदि का दावा करना, अपनी आमदनी से अधिक वस्तुओं को रखना, शासकीय पद या सत्ता का दुरूपयोग, अनैतिक आचारण आदि। प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय लोकतन्त्र में फैले हुए भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालना।

अध्ययन प्रविधिः

प्रस्तुत शोध पत्र में विषय से सम्बन्धित तथ्यों के संकलन हेतु द्वितीयक स्त्रोतों जैसे–पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं का अध्ययन किया गया है एवं वर्णात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।

भारत में भ्रष्टाचार सर्वव्यापी हो गया है जीवन का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। यह वर्तमान भारत में जीवनशैली बन चुका है। इसकी स्वीकार्यता सामाजिक क्रिया–कलापों में स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होती है।1

प्रसिद्ध विधिवेत्ता एन0 ए0 पालकीवाला ने अपनी पुस्तक We the people of India में लिखा है कि भ्रष्टाचार के कारण तिरंगे का रंग बदल चुका है। केसरिया, सफेद एवं हरे से बदलकर वह लाल, काला एवं बैगनी बन चुका है तथा वहाँ पर भ्रष्टाचार का झण्डा फहरा रहा है। आजादी के पश्चात् सार्वजनिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार के अध्ययन के लिए गठित विभिन्न आयोगों तथा समितियों के निष्कर्ष यह संकेत देते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार ने हैरतंगेज स्थितियाँ प्राप्त कर ली हैं।[2]

अंग्रेजी शब्दकोश में 'Integrity' शब्द को नैतिक सिद्धान्तों की दृढ़ता, निर्दोष चरित्र, स्पष्टता, ईमानदारी एवं निष्कपटता के पर्यायवाची के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके हिन्दी रुपान्तर के रुप 'सच्चरित्रता' का प्रयोग किया जाता है। सच्चरित्रता राज्य का परमावश्यक धर्म है। सच्चरित्रता का विलोम भ्रष्टाचार है।

भ्रष्टाचार की परिभाषा भारतीय दण्ड संहिता (I.P.C) की धारा–161 में की गयी है। इस परिभाषा का महत्त्व अत्यन्त गहरा है, क्योंकि कानून की दृष्टि में यह परिभाषा ही भ्रष्टाचार की परख है।

''जो व्यक्ति शासकीय कर्मचारी होते हुए या होने की आशा में अपने या अन्य किसी व्यक्ति के लिए विविध परिश्रमिक से अधिक कुछ घूस लेता है या स्वीकार करता है अथवा लेने के लिए तैयार हो जाता है या लेने का प्रयत्न करता है या किसी कार्य को करने या न करने के लिए उपहार स्वरूप या अपने शासकीय कार्य को करने में किसी व्यक्ति के प्रति

* शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल

पक्षपात या उपेक्षा या किसी व्यक्ति की कोई सेवा या कुसेवा का प्रयास, केन्द्रीय या अन्य राज्य सरकार या संसद या विधानसभा या किसी लोक सेवक के सन्दर्भ में करता है तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास का दण्ड या अर्थदण्ड या दोनों दिये जा सकेंगे।[3]

1947 में जब स्वाधीनता के बाद लोकतन्त्र को अपनाया गया। तब तत्कालीन राजनीतिज्ञों द्वारा लोकतन्त्र को देश के विकास के बेहतरीन विकल्प के रूप में ही चुना गया। लोकतन्त्र वर्तमान समय मे मात्र 'भीड़ तन्त्र' बन कर रह गया है। देश का संकीर्ण राजनैतिक नेतृत्व इसका जिम्मेदार था जो जनता को शासन व्यवस्था के प्रति जागरूक न कर सका। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता अैर व्यवस्था एक साथ होने की जगह एक दूसरे के विरोधी हो गये और व्यवस्था राजनीतिक नीति नियमों और नेताओं तक सीमित हो गई तथा बढ़ती महंगाई, गरीबी, भूख, बेरोजगारी, अशिक्षा, कालाधन, असन्तुलित आर्थिक विकास और सामाजिक विषमताऐं जनता में व्यापक रूप से फैल गईं। ये सभी कहीं न कहीं, कभी न कभी भ्रष्टाचार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारण बने। यहाँ भ्रष्टाचार के अर्थ को जान लेना उचित होगा।

''सरल शब्दों में भ्रष्टाचार को रिश्वत का कार्य कहा जा सकता है। इसे निजी लाभ के लिये सार्वजनिक शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करना जिसमें कानून तोड़ना शामिल हो या जिसमें समाज के मानदण्ड़ों का विचलन हुआ हो, भी कहा जा सकता है।'' डी0एच0बेली के अनुसार, ''निजी लाभ के विचार के परिणामस्वरूप सत्ता का दुरूपयोग जो धन संबंधित नहीं भी हो सकता है''।

जे0 स्नाय का कहना है कि ''भ्रष्टाचार निजी लाभों के लिये सार्वजनिक पद का दुरूपयोग दर्शाता है। भ्रष्टाचार को इस प्रकार भी समझाया गया है यह आर्थिक या प्रतिष्ठा संबंधी लाभों की प्राप्ति के लिये सार्वजनिक भूमिका के प्रति औपचारिक कर्त्तव्यों से विचलन हुआ है।[4]''

किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार मानव समाज में सदैव कायम रहा है। अर्थशास्त्र के रचयिता प्रसिद्ध भारतीय विद्वान कौटिल्य ने उसके अनेक रूपों में विद्यमान रहने का उल्लेख किया है। कौटिल्य के अनुसार, ''जिस प्रकार जिह्वा पर रखे हुए शहद का स्वाद न लेना असम्भव है उसी प्रकार किसी शासकीय अधिकारी के लिए राज्य के राजस्व के एक अंश का भक्षण न करना सम्भव है।[5]''

भारतीय लोकतंत्र की सर्वाधिक गम्भीर एवं जटिल समस्या भ्रष्टाचार व राजनीति का अपराधीकरण है। लोकतंत्र वास्तव में इच्छा अथवा चुनाव पर मुख्यतः आधारित होता है। किन्तु भारत में मतदाता के लिये चुनने का ही अभाव है। चूँकि भ्रष्ट– बेईमानों व अपराधियों में से किसे चुने। राजनीतिज्ञों और इन भ्रष्टाचारियों में इतना तालमेल हो गया है कि दोनों में अन्तर करना भी मुश्किल है। कोई भी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार से अछूता भी नहीं है। केवल मात्रा का अन्तर हो सकता है। इन अपराधियों का न केवल राजनीति में प्रवेश बल्कि विधानसभाओं व संसद में पहुँचना तथा राज्य सरकार के साथ–साथ केन्द्र सरकार में स्थान पाना सर्वाधिक चिन्ता का विषय होना है। भारत में राजनीति और चुनाव इस प्रकार के भ्रष्ट व आपराधिक तत्वों को आकर्षित करते हैं।

ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल 2008 में 179 देशों की भ्रष्टाचार दर्शाने वाली सूची जारी की जिसमें भारत को 72वां दर्शाया गया है। जिसके मापदण्ड के अनुसार ईमानदारी के दस अकों के पैमाने में भारत को 3.5 अंक दर्शाये गये हैं। सूचना का अधिनियम पारित होने के उपरान्त भी भारत में भ्रष्टाचार पर कोई खास अंकुश नहीं दिखाई देता है।[6]

भ्रष्टाचार केवल रूपए के लेन–देन तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। भ्रष्टाचार का बड़ा व्यापक दायरा है। कोई भी समाज आज तक भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो पाया है। यह ध्रुव सत्य है कि हर समाज में किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार विद्यमान रहता है। सिर्फ कानूनी एवं जन–संवाद की स्थितियों को छोड़कर विकासशील समाज में भ्रष्टाचार कोई बड़ा आक्रोश पैदा नहीं करता, क्योंकि जनता के अधिकांश लोग इसके आदी होते हैं। भारत में भ्रष्टाचार न सिर्फ बड़े पैमाने पर व्याप्त है, बल्कि वह सुव्यवस्थित प्रणालीबद्ध नियोजित एवं स्वैच्छिक बनकर रिश्वतखोरों एवं रिश्वत देने वालों दोनों ही पक्षों को फायदा पहुँचाने वाली व्यवस्था का रूप ग्रहण कर चूका है। यह ऊँचे स्तरों से शुरू होकर नीचे से नीचे के स्तर तक चला गया है। आज भ्रष्टाचार छोटी–छोटी मात्रा में नहीं, बल्कि व्यापक स्तर तक गिराये जा सकने वाली स्थिति में पहुँच चुका है। नित नई शक्लों एवं रूपों में भेष बदला हुआ भ्रष्टाचार अब पैसों से हटकर वस्तुओं तथा सौदों, वायदों और दलाली जैसी जटिल व्यवस्थाओं में फैल गया है। इस भ्रष्टाचार में राजनीतिक दल, सत्तासीन नेतृत्व, जन प्रतिनिधि, नौकरशाह तथा प्रजा जन सभी फँसे नजर आते हैं।[7]

हांगकांग स्थित एक कन्सलटेंसी फर्म पॉलिटिक्स एण्ड इकोनॉमिक रिस्क कन्सलटेंसी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की नौकरशाही एशिया में सबसे बद्त्तर है। इस रिपोर्ट में एशिया के देशों की नौकरशाही को दस तक के क्रम में रखा गया है। भारत को 9.21 अंक मिले हैं यानि सबसे कम, जबकि सिंगाापुर को सबसे बेहतर नौकरशाही वाला देश बताया गया है। उसका अंक 2.25 रहा है। इस कन्सलटेंसी ने जो अपना अध्ययन जारी किया है, उसके मुताबिक भारत में

नौकरशाहों को 'बमुश्किल ही उनके गलत निर्णयों के लिए जबावदेह ठहराया जाता है' जिसके कारण कॉरपोरेट कम्पनियों को अपना काम करवाने के लिए बडी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और यह उनके लिए चुनौती भरा काम होता है। इस रिपोर्ट के अनुसार 'आम भारतीय के साथ यहाँ निवेश की मंशा रखने वाले विदेशी निवेशक नौकरशाहों को काफी नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। इस बीच वार्षिक सिविल सेवा दिवस (21 अप्रैल) के लिए क्रमिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने भारतीय नौकरशाही में फैले भ्रष्टाचार पर जो पुस्तिका तैयार की थी उसके अनुसार 'सिविल सेवाओं में भ्रष्टाचार पूरे स्तर (उच्च, मध्य और निचले) पर तो फैला ही है, साथ ही विभिन्न विभागों में केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर भी पैर पसारे हुए है। उच्च स्तर पर फैले भ्रष्टाचार के परिणामस्वरूप राजनीतिक नौकरशाहों के बीच मजबूत गठजोड़ बन गया है। निचले स्तर पर यह नतीजा निकला कि लोक सेवाओं की बुरी छवि बन गयी है।

भारतीय नौकरशाही की एशिया में काफी खराब छवि बन गई है, उसके लिए रिश्वतखोर नौकरशाह के विरूद्ध अभियोग चलाने की अनुमति देने की प्रकिया तथा जाँच एजेंसियों की प्रतिबद्धता काफी जिम्मेदार है। जैसे कि मौजूद साक्ष्यों का विस्तृत विश्लेषण केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से विचार–विमर्श, राज्य सरकार अन्य एजेंसियों के साथ मिल बैठकर विचार–विमर्श और कभी–कभी कागजातों की अनुपलब्धता में अकारण की देरी नारायण स्वामी द्वारा दिसम्बर 2011 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार पिछले तीन सालों में आईएएस–आईएफएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ 453 आरोप पत्र दाखिल किए गए। नारायण स्वामी के अनुसार सीबीआई 943 और मामलों की जाँच कर रही है। अड़चन जाँच की अनुमति देने के लिए 167 अनुरोध में 68 गुजारिश ऐसी हैं जो तीन माह से ज्यादा समय से लटकी पड़ी हैं। कुछ अधिकारियों ने तो, ऐसे अनुरोध लटके रहें इसका भी प्रबन्ध कर लिया है। संथानम समिति ने स्पष्ट कहा या कि छोटे तबके के कर्मचारियों की अपेक्षा राजपत्रित अधिकारियों में भ्रष्टाचार अधिक देखने में आया है। संथानम समिति के अनुसार, 'वस्तुस्थिति को देखते हुए यह बताना कठिन है कि कितने सरकारी कर्मचारी व अधिकारी भ्रष्टाचार, घूसखोरी, धन के दुरूपयोग या अनैतिक आचरण में लिप्त हैं।'

आज लोक सेवकों की राजनीतिक पहचान बनती जा रही है। सत्ता से जुड़े रहने की ललक ने भी नौकरशाही के प्रभाव को हवा दी है। स्वतन्त्रता के पश्चात् तंत्र को अपने सत्ता स्वार्थ के लिए प्रयोग करने की एक नई परम्परा की शुरूआत हुई। जिसने प्रशासनिक तंत्र को तोड़कर उसमें अनुशासनहीनता, अकार्यकुशलता तथा भ्रष्टाचार की तरफ मोड़ दिया, वरिष्ठता तथा गुणवत्ता की अवेहलना कर, व्यक्तिगत तथा अन्य भिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक स्थानों पर नियुक्ति दी जाती है। राजनेताओं तथा सरकारी कर्मचारियों के नापाक गठबंधन का ही परिणाम है कि 2 जी, केजी बेसिन, आदर्श सोसायटी, कॉमनवेल्थ जैसे घोटाले हो सके। पिछले दो दशकों में इस तरह के भ्रष्टाचार में काफी उछाल आया है। अन्ना हजारे ने जब भ्रष्टाचार समाप्त करने की माँग उठाई तो लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला।

गोपाल स्वामी आयंगर, ए0डी0 गोरवाल, प्रो0 एप्पलबी तथा प्रख्यात लेखक थियोडोर मॉरीसन के अनुसार नौकरशाही का ह्रास वहाँ से शुरू हुआ जहाँ से जन प्रतिनिधियों पर नौकरशाही पर नियन्त्रण व अंकुश रखने के स्थान पर नौकरशाही से अनुचित कार्य करवाने आरम्भ कर दिए, जिससे अहित जनता का ही हुआ। यदि राजनीतिज्ञ लोकतंत्र, लोक कल्याण व लोक सेवा के प्रति प्रतिबद्ध होने के साथ प्रामाणिक भी होते तो निश्चित रूप से यह दुःखद स्थिति देखने को नहीं मिलती। नौसिखिये मंत्रियों के पास नौकरशाही के ऊपर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। मंत्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व में नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि होती चली गई। यदि मंत्री बुद्धिमान, कर्मठ हों तथा नीतियों के निर्माण में उनकी छाप झलके तो निश्चय ही नौकरशाही इतनी हावी नहीं होती।

भारत में इस बात पर प्रायः अधिक बल दिया जाता है कि सरकारी क्षेत्रों से भ्रष्टाचार को हटाया जाए, लेकिन राजनीतिक क्षेत्रों तथा जनजीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रभाव व उसके प्रसार को देखते हुए इसका सर्वथा उन्मूलन किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। सुधार के जो प्रयत्न जारी हैं वे भ्रष्टाचार को मिटा पाएंगे यह सम्भव नहीं दिखता। सबसे बड़ी दुःख की स्थिति तो यह है कि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार से हुए पतन से कोई सबक नहीं लेता। इन सबका परिणाम यह हुआ कि प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार मिटाने के आधे दिल से किए जाने वाले प्रयत्न भी निष्फल हो जाते हैं। जिस प्रकार के कानून, नियम एवं आचारण नियम सरकारी अधिकारियों के लिए बने हुए हैं उस तरह के नियम एवं आचरण सहिताएं राजनीतिज्ञों तथा जन प्रतिनिधियों के लिए भी बनी हुई होनी चाहिए।[8]

भारतीय समाज में भ्रष्टाचार अब उस सीमा तक पहुँच चुका है जिससे गरीबी रेखा के नीचे के (बीपीएल) परिवार भी नहीं बच पाये। ट्रांसपेरेसी इंटरनेशनल इण्डिया के एक सर्वेक्षण के अनुसार बीपीएल परिवारों से वर्ष 2008 में भारत में 900 करोड़ रूपये का लेन–देन रिश्वत के तौर पर हुआ।

आज, जबकि नव–पूँजीवाद, शक्तिशाली, भारी–भरकम, ताकतवर होकर खड़ा है और समाज में अपना विष फैला रहा है, ठीक उसी समय भारत स्तरहीनता, पतन और विघटन के द्वार पर खड़ा है। यह कठिनाईयों का एक नया दौर है। इस

नए संकट की प्रमुख विशेषता यह है कि विश्व भर की समस्त शक्तियाँ नाटकीय ढंग से उपभोक्तावाद के आगे घुटने टेक रही हैं। जो कि भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण भी बन गया है। अधिकाधिक राष्ट्र इसके शिकार हो रहे हैं और भ्रष्ट ताकतें अपना मुँह उठाने लगी हैं। आश्चर्य इस बात का है कि भारत इन सबसे ऊपर है। भारत का यह संकट अब हमारी गृह एवं विदेशी नीतियों में भी स्पष्ट दिखाई देने लगा है। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि धर्मनिष्ठ कार्य भी इसी दूषित वातावरण की चपेट में आ गए हैं।[9]

भ्रष्टाचार की व्यापकता को देखते हुए अब इसे संक्षिप्त में परिभाषित कर पाना तो संभव नहीं है क्योंकि जीवन से मरण तक भ्रष्टाचार का संजाल फैला हुआ है, तथापि संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जब राजनीतिक शक्ति का वैयक्तिक अथवा किसी गुट या वर्ग के स्वार्थ और लाभ के लिए इस ढंग से प्रयोग किया जाए कि विधि अथवा उच्च नैतिक प्रतिमानों का उल्लंघन हो, तो यह स्थिति भ्रष्टाचार के दायरे में आती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत में भ्रष्टाचार को परिभाषित करने वाली यह स्थिति अब स्थाई प्रभाव में आ गई है और सिर्फ राजनीतिक या लोक प्रशासन तक सीमित न रह कर आम आदमी के चरित्र से जुड़ गई है।[10]

लोक कर्मचारियों के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1947 ने भ्रष्टाचार के क्षेत्र में निम्नलिखित परिभाषा दी है:

एक लोक सेवक अपने कर्तव्य के सम्पादन में आपराधिक दुराचरण (criminal misconduct) का दोषी है –

(अ) यदि वह आदतन अपने लिए या अन्य किसी व्यक्ति से अपने लिए या अन्य व्यक्ति के लिए ऐसी धनराशि, जो विधिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त होती है, किसी उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में जैसा भारतीय दण्ड विधान की धारा 161 में उल्लिखित है, स्वीकर करता है या स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है।

(आ) यदि वह आदतन अपने लिए या अन्य किसी व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु बिना कारण या किसी ऐसे कारण के लिए, जो वह जानता है कि अनुचित है, किसी जान–पहचान के व्यक्ति या किसी सम्पादित कार्य या व्यापार से सम्बन्धित या उसके या किसी ऐसे लोक–सेवक के, जिसका वह अधीनस्थ है, कार्यालय सम्बन्धी कार्यों या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से जिसे वह जानता है या जिससे सम्बन्धित व्यक्ति का हित है या सम्बन्धित है, ग्रहण करता है।

(इ) यदि वह बेईमानी या जालसाजी से धन का दुरूपयोग करता है या लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने या अन्य किसी व्यक्ति के लिए महत्त्वपूर्ण वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है।

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1947 के प्रावधानों की जकड़ मजबूत करने के लिए 1988 में इसमें संशोधन किया गया। 'लोक सेवक' की परिभाषा भी अब अधिक विस्तृत कर दी गयी है, जो उचित भी है। अब मन्त्री और सांसद भी लोक सेवक हैं।11

इस प्रकार समाज में भ्रष्टाचार अनेक स्वरूपों में फैला हुआ है। जो निम्नलिखित है :–

संरक्षण : संरक्षण द्वारा समर्थन, प्रोत्साहन दिया जाना और इस प्रकार पद का दुरूपयोग करना।
दुर्विनियोग : दूसरे के धन को अपने प्रयोग में लेना।
पक्षपात : एक व्यक्ति को छोड़कर दूसरे को अनावश्यक वरीयता देना।
भाई–भतीजावाद: सम्बन्धियों को अनावश्यक पक्षपात द्वारा संरक्षण प्रदान करना।

समय के साथ भ्रष्टाचार का वह स्वरूप राजनीति का अभिन्न अंग बन गया। जिनका प्रभाव सभी क्षेत्रों में दिखाई देने लगा। 1980 के बाद राजनीति में हुये परिवर्तनों के फलस्वरुप नये विचार आये जो परिस्थितियों से प्रभावित राजनीति में स्वार्थपरता, अवसरवादिता, नेतृत्वहीनता, चरित्रहीनता, नोट–वोट–सपोर्ट की राजनीति के रूप में मुखर हुये। आज की राजनीति रीढ़ हीन हो गई है। राजनीति की रीढ़ नैतिकता होती है और आज की राजनीति में नैतिकता के लिये कोई जगह ही नहीं रह गई है। यह खुल्लम–खुल्ला अवसरवादिता है, जिसकी प्रेरणा शक्ति है लोक सत्ता का लोभ, पद का लाभ, पैसे का लोभ, भोग का लोभ। भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार लोकतंत्र के लिये अच्छा संकेत नहीं है। काई भी क्षेत्र भ्रष्टाचार से नहीं बचा है। छोटे से लेकर बड़े स्तर तक भ्रष्टाचार फैला है।

राजनैतिक भ्रष्टाचार के ऐसे सैकड़ों मामले भरे पड़े हैं जिनमें नेतृत्व ने जनता के विश्वास और सरकारी धन की क्षति पहुँचायी है। आपरेशन दुर्योधन, आपरेशन चक्रव्यूह ने संसदीय विकास निधि के आवंटन में सांसदों को रिश्वत लेते हुए दिखाया। तांसी भूमि घोटाला (तमिलनाडु की पूर्व C.M. जयललिता) रक्षा सौदे में दलाली से संबंधित तहलका डॉट काम जिसमें बी0 जे0 पी0 अध्यक्ष वंगारू लक्ष्मण और समता पार्टी के अध्यक्ष जया जेटली, कोलतार धोटाला बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री मु0 इलियास हवाला, बिहार का चारा घोटाला लालू यादव सेन्ट्रल किट्स झारखड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को पूर्व पी0 एम0 नरसिन्हा राव से धन प्राप्त कर बहुमत सिद्ध करने का काण्ड, दिल्ली में सरकारी भवन और पेट्रोल पम्पों के

आवंटन संबंधित घोटाला आदि। इन सब से लगता है कि ''आज संसद के गलियारे चिंतन और प्रबुद्ध राजनीति से रहित कलुषित सौदेबाजी और मलिन समझौते के स्थल बन गये हैं।[12]''

प्रमुख उच्च स्तरीय घोटाले

भारत में कुछ बड़े घोटालों की सूची निम्नलिखित है।

	वर्ष	विवरण
1.	1949	216 करोड़ रूपयों का जीप घोटाला, जिसमें कृष्ण मेनन शामिल थे, जो उस समय ब्रिटेन में भारत के राजदूत थे।
2.	1956	'सिराजुद्दीन वाला मामला जिसमें नेहरू सरकार में खदान तथा ईधन मन्त्री केशवदेव मालवीय मुख्य रूप से आरोपित थे।
3.	1958	फीरोज गाँधी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के घोटाले का पर्दाफाश किया। इसमें निगम की फर्जी शेयर बेचने का मामला था। नेहरू सरकार के मन्त्री टी0 टी0 कृष्णमाचारी को त्यागपत्र देना पड़ा था।
4.	1971	रूस्तम सोहराब नागरवाला काण्ड भारतीय स्टेट बैंक के प्रधान रोकड़िये को प्रधानमन्त्री कार्यालय से टेलीफोन पर आदेश दिया गया कि बैंक से 60 लाख रूपये निकाल कर दे दे। नागरवाला उस रकम से भरा बाक्स लेकर फरार हो गया। बाद में उसे चार वर्ष की कठोर कैद की सजा दी गयी।
5.	1981	एच0 डी0 डब्ल्यू पनडुब्बी सौदा। कुछ बिचौलियों को 100 करोड़ रूपये की रिश्वत दी गयी।
6.	1982	अब्दुल रहमान अन्तुले पर आरोप लगा कि उन्होंने सीमेण्ट तथा औद्योगिक एल्कोहॉल के लायसेन्स देने के लिए रकमें वसूल कीं और इस प्रकार अपने द्वारा स्थापित ट्रस्ट के लिए करोडों रूपये ऐंठ लिये। न्यायालय का उनके विरूद्ध निर्णय होने पर उन्होंने पद त्याग दिया।
7.	1983	चुरहट लॉटरी घोटाला इसमें कांग्रेसी मन्त्री अर्जुन सिंह कथित रूप से आरोपित थे।
8.	1987	फेयर फैक्स घोटाला, जिसमें पूर्व वित्त मन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय नियमन अधिनियम का उल्लंघन किये जाने की जाँच के आदेश दिये गये। उन्हें झूठा फंसाया गया था।
9.	1988	बोफोर्स तोप सौदा। इस तोप का 16,000 करोड़ रूपये का ठेका पाने के लिए राजीव गाँधी की सरकार को रिश्वत दिए जाने का आरोप था।
10.	1991	पुराने वेस्टलैण्ड हैलिकॉपटरों की खरीद।
11.	1992	5,000 करोड़ रू0 के प्रतिभूति घोटाले का भण्डा फूटा। इसका सरगना हर्षद मेहता आरोपित हुआ। अनेक उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ और लोक सेवक इस सौदे में शामिल थे।
12.	1993	कम्प्यूटर सौदे में आरोपित कर्नाटक के मुख्य मन्त्री एस0 बी0 बंगारप्पा को त्यागपत्र देने पर विवश किया गया।
13.	1994	शक्कर घोटाला–कल्पनाथ राय को ज्ञान प्रकाश समिति की रिर्पोट के आधार पर इस्तीफा देने को मजबूर किया गया। समिति का आरोप था कि शक्कर की कीमतों में बेतहाशा बढोत्तरी का मुख्य कारण समय पर आयात नहीं किया जाना था।(650 करोड़)
14.	1994	दूरसंचार घोटाला–सुखराम पर विपक्ष के सांसदों ने आरोप लगाया कि दूरसंचार के लिए आमन्त्रित निविदाओं में पक्षपात किया गया। सी0 बी0 आई0 ने 1996 में छापे मारे। भारी सम्पत्ति मिली।
15.	1995	बिहार का 950 करोड़ का चारा घोटाला–महालेखाकार की रिपोर्ट के अनुसार बजट अनुदान की धनराशि और पशुपालन विभाग में विद्यमान राशि में भारी अन्तर पाया गया। शीर्षस्थ अधिकारी निलम्बित किये गये। मुख्यमन्त्री लालू प्रसाद समेत 56 अभियुक्तों के विरूद्ध मुकदमे दायर किये गये।
16.	1995	हवाला काण्ड–अनेक राजनीतिज्ञों तथा नौकरशाहों पर हवाला एजेण्ट एस0 के0 जैन और जे0 के0 जैन के माध्यम से धन प्राप्त करने का अभियान।
17.	1995	आवास घोटाला– तत्कालीन मन्त्री शीला कौल और पी0 के थुंगन द्वारा आवासों का अनियमित आबंटन शीला कौल ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर त्यागपत्र नहीं दिया, राष्ट्रपति के आदेश पर दिया। (17.4 करोड़ रू0)
18.	1995	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा रिश्वत काण्ड– झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के चार सांसदों– सूरज मण्डल, शैलेन्द्र महतो, शिबु सोरेन और साइमन मराण्डी ने, जैसा कि आरोप है, नरसिंह राव सरकार के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव के

विरोध में मतदान करने के लिए भारी धनराशियाँ प्राप्त की थीं।(3 करोड़ रूपये)

19. 1996 यूरिया घोटाला– यूरिया के आयात के लिए एक अपरिचित तुर्की फर्म कोरसन लिमिटेड को 133 करोड़ रूपये अग्रिम दे दिये गये, जबकि यूरिया आया ही नहीं। इस फर्जी सौदे से प्रकट है कि वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और अधिकारी किस प्रकार जन सम्पत्ति का अपव्यय करते हैं।

20. 1996 मुम्बई पोर्ट घोटाला– पोर्ट ट्रस्ट के अध्ययन तथा उपाध्यक्ष ने, जैसा कि आरोप है, सरकार के आदेशों एवं निर्देशों का उल्लंघन करके ट्रस्ट की वकील किरण चौधरी को प्रमुख व्यावसायिक भूमि का आंबटन कौड़ियों के दाम पर कर दिया, जिससे ट्रस्ट को भारी हानि हुई।

21. 2001(मार्च) तहलका घोटाला–जिसमें नेताओं और सरकारी अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए फिल्माया गया।

22. 2008 2–जी स्पेक्ट्रम घोटाला– वर्ष 2008 के दौरान राजकोष को हानि पहुँचाकर तत्कालीन संचार मंत्री ए0 राजा के साथ साँठ–गाँठ कर 2–जी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस देश की कुछ कम्पनियों द्वारा हासिल किये गये। फरवरी 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 में आंवटित 2–जी स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंसों का आवंटन रद्द कर दिया।[14]

भ्रष्टाचार के प्रकार

भ्रष्टाचार के अगणित रूप हैं। केन्द्रीय निरीक्षण आयोग ने भ्रष्टाचार के निम्नलिखित 27 प्रकारों का उल्लेख किया है। निम्नस्तरीय वस्तुओं या कार्य को स्वीकार करना, सार्वजनिक धन और भण्डार का दुरूपयोग करना, जिन व्यक्तियों से अधिकारियों के कार्यालय स्तर के सम्बन्ध हैं उनके आर्थिक दायित्वों का गठन करना, ऐसे ठेकेदारों या फर्मों से कर्ज लेना जिनसे उनके कार्यालय स्तरीय सम्बन्ध होते हैं, ठेकेदारों एवं फर्मों को रिआयतें देना, झूठे दौरे, भत्ते एवं गृह– किराया आदि का दावा करना, अपनी आमदनी से अधिक वस्तुओं को रखना, बिना पूर्व–अनुमति या पूर्व – सूचना के अचल सम्पत्ति आदि का क्रय करना, प्रमाद या अन्य कारण से शासन को हानि पहुँचाना, शासकीय पद या सत्ता का दुरूपयोग, भत्ती, नियुक्ति, स्थानांत्तरण एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में गैर–कानूनी रूप से धन लेना, शासकीय कर्मचारियों को व्यक्तिगत कार्यों में प्रयोग करना, जन्मतिथि एवं समुदाय सम्बन्धी जाली प्रमाणपत्र तैयार करना, रेल एवं वायुयान में स्थान सुरक्षित करने में अनियमित्ता, मनी ऑर्डर, बीमा एवं मूल्य– देय पार्सलों आदि को लेना नये डाक टिकटों को हटाकर पुराने टिकट लगाना, आयात एवं निर्यात लाइसेन्स देने में असहयोग एवं अनियमित्ता, शासकीय कर्मचारियों की जानकारी एवं सहयोग से विभिन्न फर्मों द्वारा आयातित एवं निर्धारित कोटे का दुरूपयोग, टेलीफोन कनेक्शन देने में अनियमितता, अनैतिक आचरण, उपहार ग्रहण करना, आर्थिक लाभ के लिए आय–कर, सम्पत्ति कर आदि का कम मूल्यांकन करना, स्कूटर एवं कार खरीदने के लिए स्वीकृत अग्रिम धनराशियों का दुरुपयोग, विस्थापितों के दावों का गलत मूल्यांकन, विस्थापितों के दावों के निपटाने में अनुचित विलम्ब, आवासीय भूमि के हिस्सों के क्रय एव विक्रय के सम्बन्ध में धोखा देना, शासकीय क्वार्टरों का अनाधिकृत कब्जा एवं उन्हें अनाधिकृत रूप से किराये पर उठाना।[15]

भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार हर युग में व्यापत्य रहा। कहीं परिस्थितियों वश शांत ज्वालामुखी रहा तो कहीं सत्ता के प्रवाह में स्पष्ट दिखाई दिया। ''कौटिल्य ने अपने 'अर्थशास्त्र' में राज्य कोष के सरकारी कर्मचारियों द्वारा गबन किये जाने का उल्लेख किया है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनाए जाने वाले लगभग 50 प्रकार के गबन और अन्य भ्रष्ट तरीकों का वर्णन किया है।[16]

संदर्भ सूची

1 मीणा, सोन लाल ; भ्रष्टाचार की अग्नि में जलता भारत, भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, वर्ष–द्वितीय, अंक प्रथम द्वितीय (संयुक्ताङ) जनवरी–दिसम्बर, पृ 65

2 सुरोलिया, विनोद; भ्रष्टाचार कारण और निवारण, प्रतियोगिता दर्पण, अक्टूबर 2012, पृ 308

3 अवस्थी एवं माहेश्वरी, 'लोक प्रशासन, तेईसवाँ संशोधित संस्करण, लक्ष्मी नारायण प्रकाशन, आगरा, 2006, पृ 374

4 यादव, भावना; भ्रष्टाचार और भारत भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, वर्ष–तृतीय, अडक; प्रथम द्वितीय (संयुक्ताङ) जनवरी– दिसम्बर 2011 पृ 120,121

5 अवस्थी एवं माहेश्वरी , उपरोक्त , पृ 373

6 त्यागी, अशोक कुमार; भारत में लोकतंत्र क्रियाशील स्वरूप, भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, वर्ष–तृतीय अंकः

प्रथम द्वितीय (संयुक्ताङ) जनवरी–दिसम्बर 2011
7 सुरोलिया, विनोद; उपरोक्त, पृ 308
8 सुरोलिया, विनोद, उपरोक्त, पृ 308,309
9 मीणा, सोहन लाल, उपरोक्त, पृ 61
10 अग्निहोत्री, सुधीर, भ्रष्टाचारः कारण और निवारण, परीक्षा मंथन, निबंध भाग–6 ईयर बुक, पृ 51
11 अवस्थी एवं माहेश्वरी, उपरोक्त, पृ 379,380
12 यादव, भावना उपरोक्त , पृ 121,122
13 अवस्थी एवं माहेश्वरी , उपरोक्त, पृ 384,385,386
14 समसामयिक वार्षिकी 2012, वाल्यूम 2,पृ 69
15 अवस्थी एवं माहेश्वरी, उपरोक्त, पृ 378,379
16 यादव, भावना, उपरोक्त, पृ 120